कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

(पुराना कलेक्ट्रेट भवन, स्वामी विवेकानंद मार्ग , मेन रोड ,जांजगीर)Email-janjgir.deo@gmail.com

क्रमांक/2370/शिका./जॉच /2026 जांजगीर, दिनांक 07/05/26

//आदेश//

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार समस्त ग्रामवासियो के द्वारा श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रधान पाठक, पीएम श्री शा. कन्या प्राथ.शाला बलौदा जिला जांजगीर–चांपा के विरुद्ध शाला में पढ़ रहे छात्र–छात्राओ को बहला फुसला कर ईसाई रिति निति पद्यति से धर्मांतरण कर हिन्दू संस्कृति के खिलाफ देवी–देवताओ के विरुद्ध भड़काकर उन्हे धर्मांतरण करने, लोक शांति भंग होने के अंदेशा पर थाना बलौदा में ईश्तगासा क्रमांक 261/2025 धारा 126, 135 (3) बीएनएसएस कायम किया गया एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज द्वारा शाला प्रबंधन समिति के राशि का व्यय स्वयं कर शाला विकास समिति से अनुमोदन लेने का प्रयास किया गया एवं भौतिक सत्यापन नही कराया गया एवं समग्र शिक्षा एवं अन्य मदो से प्राप्त शाला अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक सामाग्रीयो की फर्जी बिल व्हाउचर का उपयोग कर अपने रिश्तेदारो के नाम पर पीपीओ जारी कर राशि स्वयं आहरण करने की अनियमितता पाई गई।

संबंधित को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था। संबंधित द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोष जनक नही पाया गया एवं दिनांक 07.05.2026 को जन समस्या निवारण शिविर ग्राम भिलाई में उठाए गए शिकायत की स्थिति को देखते हुए श्रीमती लक्ष्मी भारद्वाज का कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

civilindia.in

02/ श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रधान पाठक, पीएम श्री शा.कन्या प्राथ.शाला बलौदा जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0 का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित है।

03/अतएव, श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रधान पाठक, पीएम श्री शा.कन्या प्राथ.शाला बलौदा जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

04/निलंबन अवधि में श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रधान पाठक, पीएम श्री शा.कन्या प्राथ. शाला बलौदा, का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. नियत रहेगा एवं निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)